कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / साप्र / बी–2 / 4416(66) / 2024 / पार्ट–3 / 01 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक

विषयः– पदोन्नति के सम्बन्ध में समीक्षा के सम्बन्ध में निर्देश बाबत।
प्रसंग – प.1(4)प्राशि / 2024 / 05288 जयपुर दिनांक 20.05.2025।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा माननीय शिक्षामंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.2025 को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक के बैठक कार्यवाही विवरण में प्रदत्त निर्देशानुसार शिक्षा विभाग की लम्बित पदोन्नतियां पूर्ण कर वर्ष 2025–26 की डीपीसी तथा पूर्व की रिव्यू डीपीसी यथासमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

उपनिदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

01. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
03. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने बाबत।
04. डीपीसी मंत्रालयिक अनुभाग, कार्यालय हाजा।
05. रक्षित पत्रावली / गार्ड पंजिका।

उपनिदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Solanki
Designation : Deputy Director
Date: 2025.06.05 17:17:57 IST
Reason: Approved

क्रमांक : प.1(4)प्राशि/2024/05288 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षरित

—:: बैठक कार्यवाही विवरण::—

माननीय शिक्षामंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक **13.05.2025** को **सांय 5.00** बजे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपस्थिति पत्रक **परिशिष्ठ–'क'** पर संलग्न है।

उक्त बैठक में एजेण्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श कर, सम्बन्धित अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही (16/17सीसीए) की स्थिति, गत् 1 माह की प्रगति रिपोर्ट एवं E-Enquiry पोर्टल के सम्बन्ध में निर्देश :–

1. दिनांक 31.12.2019 तक के 16 सीसीए तथा दिनांक 31.12.2022 तक के 17 सीसीए के लम्बित समस्त प्रकरणों का निस्तारण 30.06.2025 तक अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में दिनांक 31.12.2022 तक के 16 सीसीए तथा दिनांक 31.12.2023 तक के 17 सीसीए के लम्बित समस्त प्रकरणों का निस्तारण 15.08.2025 तक अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. शिक्षा विभाग में 16 सीसीए एवं 17 सीसीए की कार्यवाही के लम्बित समस्त प्रकरणों का इन्द्राज E-Enquiry पोर्टल पर दिनांक 30.06.2025 तक अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. अनुशासनात्मक कार्यवाही (16सीसीए/17 सीसीए) के ऐसे प्रकरण जो विभिन्न न्यायिक/पुलिस/एसओजी कारणों से लम्बित है, उनमें विधिक राय प्राप्त की जाकर, विभागीय कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण की जावे।
5. संयुक्त विधि परामर्शी, विभागीय जांच अनुभाग दोनों परस्पर समन्वय स्थापित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के ऐसे लम्बित प्रकरण, जिनमें कोर्ट स्टे है उनमें रिवीजन की कार्यवाही करावें व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. स्वेच्छा से लम्बे समय से निरन्तर कर्तव्य से अनुपस्थित राजसेवकगण के विरूद्ध कार्यवाही बाबत कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.05.2025 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे व इस प्रकार के प्रकरणों में की गई गई कार्यवाहियों की प्रगति रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावें।
7. संभाग व जिला स्तर पर लम्बित विभागीय जांच प्रकरणों की समुचित मॉनिटरिंग निदेशालय स्तर से किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

ORF (Oral Reading Fluency) के सम्बन्ध में निर्देश :–

8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा महोदय द्वारा 7 मई–12 मई, 25 के मध्य लगभग 21 लाख बच्चों का बेसलाईन असेसमेंट ORFएप्प के माध्यम से पूर्ण किये जाने की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Balara
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.05.20 13:20:25 IST
Reason: Approved

दी गई। मंत्री महोदय ने असेसमेंट से शेष रहे 5 जिलों के बच्चों का असेसमेंट ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात विद्यालय खुलते ही करवाने के निर्देश दिये।

9. समरकेम्प व ORF के तहत एप्प के माध्यम से की जा रही कार्यवाही की क्रियान्विति की गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
10. ORF के तहत एप्प के माध्यम प्राप्त असेसमेंट के अनुसार कमजोर विद्यार्थियों हेतु जुलाई माह में विशेष प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय शिक्षा मंत्री कार्यालय से प्रेषित पत्रों के प्रत्युत्तर की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में निर्देश :–

11. माननीय शिक्षामंत्री कार्यालय से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरणों में निर्धारित टाईम लाईन अनुसार प्रकरणों को निस्तारण सुनिश्चित किया जावे, जिसमें नियमानुसार कार्यवाही संभव हो तो, यथाशीघ्र कर अथवा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव न हो तो अतिशीघ्र वस्तुस्थिति रिपोर्ट से माननीय शिक्षामंत्री कार्यालय को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
12. आगामी बैठक में माननीय शिक्षामंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों के समयावधि अनुसार तथा प्रकरण की प्रकृति अनुसार श्रेणीबद्ध किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
13. माननीय शिक्षा मंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाले चर्चा के प्रकरणों में अर्जेन्ट नेचर के प्रकरण में 7 दिवस व सामान्य चर्चा प्रकरणों में 15 दिवस में चर्चा किए जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
14. पत्रों के निस्तारण में समय के साथ निस्तारण की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये, जिससे प्रार्थी को नियमानुसार रिलिफ प्राप्त हो सके।
15. स्थानान्तरण पर रोक के दौरान प्राप्त कैंसर पीडित, डॉयलेसिस कराने वाले रोगी, 100 प्रतिशत नेत्रहीन, गंभीर विकलांगता वाले स्थानान्तरण प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुये कार्यव्यवस्थार्थ लगाया जाकर, राहत प्रदान किए जाने के निर्देश प्रदान किए।

पदोन्नति के सम्बन्ध में समीक्षा के सम्बन्ध में निर्देश :–

16. शिक्षा विभाग द्वारा लम्बित पदोन्नतियाँ पूर्ण किये जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया तथा साथ ही निर्देशित किया गया कि वर्ष 2025–26 की तथा पूर्व की रिव्यू डीपीसी भी यथासमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारी के सम्बन्ध में निर्देश :–

17. हरियालो राजस्थान अभियान के तहत शिक्षा विभाग अन्तर्गत 25 करोड़ पौधे लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित कर तथा इस हेतु प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 10 पौधे तथा प्रति कर्मचारी प्रतिदिन 15 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया।
18. वन विभाग से इतनी संख्या में पौधे उपलब्ध नहीं होने पर विद्यालय के विकास मद से पौधे क्रय कर लगाये जाने हेतु निर्देश जारी किये जाये।
19. अन्तः किसी भी तरह से पौधे उपलब्ध नहीं हो पाये तो बीजारोपण की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Balara
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.05.20 13:20:25 IST
Reason: Approved

20. गड्डे खुदाई के कार्य हेतु जिले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् से सम्पर्क किया जाकर कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
21. शासन सचिव महोदय, पंचायती राज के साथ विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा समन्वय कर वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाएं, इस हेतु शीघ्र एक संयुक्त बैठक आयोजित कर ली जावे।
22. शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग ने एनआईसी के माध्यम से पौधे की जियो टेगिंग करवाने हेतु एप्प बनवाए जाने के निर्देश निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रदान किये।
23. निजी विद्यालयों को भी वृक्षारोपण अभियान में जोडा जाएं।

<u>समसा के विभिन्न मरम्मत एवं निर्माण कार्यो की वर्षवार समीक्षा के सम्बन्ध में निर्देशः—</u>

24. समसा द्वारा विद्यालयों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की तृतीय पक्षकार से क्वालिटी जांच कराये जाने बाबत जारी दिशा—निर्देश की पूर्ण पालना की जाने के निर्देश दिए गए।
25. समसा द्वारा विद्यालयों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों को समय पर क्वालिटी के साथ पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
26. अधीक्षण अभियंता, समसा ने बताया कि निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु मार्गदर्शिका भी तैयार की जा रही है। इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षामंत्री महोदय द्वारा विभाग द्वारा कराये जा रहे मरम्मत एवं निर्माण कार्यों की प्रभावी मोनिटेरिंग किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
27. स्वच्छ भारत मिशन के तहत विद्यालयों में शौचालय निर्माण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
28. राज्य परियोजना निदेशक महोदया, राज्य के समस्त विद्यालय में शौचालय, पेयजल व बिजली विहिन विद्यालयों की रिपोर्ट तैयार करावें, व उक्त आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता समस्त राजकीय विद्यालय में हो सके, इस हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करावें।

<u>प्रवेशोत्सव के सम्बन्ध में निर्देश :—</u>

29. शिक्षा विभाग में डिजिटल प्रवेशोत्सव के तहत की जा रही कार्यवाही में डी—डुप्लीकेशन न हो इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
30. सत्र 2025—26 में नामांकन बढाये जाने के यथासंभव प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
31. डिजीटल प्रवेशोत्सव एप्प पर माननीय शिक्षामंत्री महोदय का लॉगिन क्रिएट किया जावे।
32. विशिष्ठ शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा सभी कलेक्टर्स को उपखण्ड अधिकारियों के माध्यम से प्रवेशोत्सव की मॉनिटरिंग हेतु निर्देश जारी करावें।

<u>लम्बित विधानसभा प्रश्नों के सम्बन्ध में निर्देश :—</u>

33. शिक्षा विभाग अन्तर्गत 14वीं, 15वीं एवं 16वीं विधानसभा के लम्बित विधानसभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव, आश्वासनों का प्रत्युत्तर दिनांक 30.

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Balara
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.05.20 13:20:25 IST
Reason: Approved

06.2025 तक अनिवार्य रूप से विधानसभा सचिवालय को दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

34. अन्तः सत्र में प्राप्त होने वाले विधानसभा प्रश्नों का प्रत्युत्तर 1 माह में प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

<u>अन्य निर्देश :—</u>

35. शैक्षणिक स्टाफ को शिक्षा विभाग के अलावा अन्य कार्यालयों में कार्यव्यवस्थार्थ नहीं लगाया जावें। यदि कहीं लगे हुये है तो उन्हें कार्यमुक्त कराया जावें। जिला कलेक्टर कार्यालयों से निर्वाचन/अन्य कार्यों हेतु आवश्यक संख्या तक कार्मिकों की मांग आने पर यथासंभव शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, ऐसी जगह से सीमित समय के लिये कार्मिक उपलब्ध कराये जावें।
36. माननीय विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में विभाग के लम्बित कोर्ट केसेज में कमी लाने के यथासंभव प्रयास किये जावें। इस हेतु विभाग में विधि सेवा के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु विधि विभाग को लिखा जावें। साथ ही माननीय शिक्षामंत्री महोदय की ओर से माननीय विधि मंत्री महोदय को अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय के साथ दो—दो राजकीय अधिवक्ता लगाये जाने हेतु पत्र लिखवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
37. शिक्षा विभाग में वोकेशनल एज्युकेशन के बारे में विचार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
38. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों (शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक) के नियमितिकरण हेतु नियमित पद सृजन एवं सेवा नियमों में संशोधन हेतु की जा रही कार्यवाही का निरन्तर फोलोअप किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
39. अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में इच्छित जिले में अथवा गृह जिले में पदस्थापन किये जाने हेतु यथासंभव समयोजन किया जाये।
40. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में नियत अवधि से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
41. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में भाग लेने वाली शिक्षिकाओं से चयन के पश्चात विद्यालय परिसर में रहने के सम्बन्ध में शपथ पत्र लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
42. स्टाफिंग पैटर्न को ग्रीष्माकालीन अवकाश के दौरान पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
43. हिन्दुस्तान स्काउट्स व गाईड्स को प्रोत्साहन दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
44. स्थानान्तरण के सभी प्रकरणों में न्यायालय/अधिकरण में तत्काल केवियट लगाई जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ मीटिंग समाप्त हुई।

(मोनिका बलारा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Balara
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.05.20 13:20:25 IST
Reason: Approved

4. आयुक्त, मिड–डे–मील, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
10. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2/प्राशि–आयोजना)/शासन उप सचिव, प्राशि/शिक्षा (ग्रुप–5/1) विभाग।
11. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग।
12. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
13. निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनेर, जयपुर।
14. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
16. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर।
17. अधिशासी अभियंता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
18. समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
19. संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग।
20. वरिष्ठ लेखाधिकारी, स्कूल शिक्षा, विभाग।
21. उप निदेशक (सांख्यिकी), शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग।
22. विशेषाधिकारी–शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग।
23. अनुसंधान अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
24. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Balara
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.05.20 13:20:25 IST
Reason: Approved